राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1560/2009/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स चाईना गेजुबा वाटर एण्ड पावर कम्पनी लि.,
8 समर्पित कॉम्लेक्स बेदला रोड़, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 1/ई.टी./2009–10/उदयपुर (संशोधित अपील संख्या 1/एम.ई.वी.टी.–2009–10/उदयपुर) में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.06.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005–06 की अवधि का प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.3.2008 को पारित किया। प्रत्यर्थी द्वारा वार्षिक विवरण पत्र 5क प्रस्तुत न करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 500/– रुपये शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से घोषणा पत्र एस.टी.18ए पर 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाकर टाटा चेसिस तथा हिन्दुस्तान 102 एस.ए. डम्पर आयात किये है। राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हिकल इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1988 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम 1988'** कहा जायेगा) के तहत कर देयता होने के बावजूद प्रवेश कर नहीं जमा नहीं कराने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रुपये 5,55,60,532/– पर 12 प्रतिशत से कर रुपये 66,67,264/– व देय कर जमा नहीं कराने के कारण ब्याज 16,91,263/– कुल मांग रुपये 83,59,027/– आरोपित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.6.2009 द्वारा आरोपित मांग राशियों को अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का अध्ययन किया गया।

5. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम, 1938 के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी पर प्रवेश कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में इस तर्क को अस्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी का प्रवेश कर दायित्व नहीं है। इसके साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय भी दिया गया कि अधिनियम, 1988 के तहत प्रवेश कर के आरोपण के समय अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन दिये जाने का प्रावधान है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समायोजन नहीं दिया है।

6. प्रकरण के उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम, 1988 के तहत आरोपित कर को अविधिक नहीं माना है बल्कि उक्त अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अनुसार यह उचित निर्णय दिया गया है कि अपीलार्थी पर प्रवेश कर की देयता है परन्तु अधिनियम, 1988 के प्रावधान अनुसार अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन दिये बिना मांग सृजित की गई है, जिसका समायोजन देते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, अतः उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन देने के पश्चात अवशेष राशि की वसूली हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करें। इसी तरह बिना नोटिस जारी किये गये रुपये 500/— की शास्ति का आरोपण अविधिक घोषित करने के निर्णय की भी पुष्टि की जाती है।

7. अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य